प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION





वेबसाइट / Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

10 नवम्बर, 2025

डीआईसीजीसी अधिनियम, की धारा 18 ए के अंतर्गत भुगतान- पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसद

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) निम्नानुसार निर्दिष्ट बैंक के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। यह भुगतान संबंधित बैंक द्वारा, डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं तरीके से प्रस्तुत की जाए।

अनु क्र.	बैंक का नाम	शहर, राज्य	दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तारीख	भुगतान की तारीख
1	पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (समावेशी दिशानिर्देशों की तिथि 07 नवम्बर, 2025)	पुसद, महाराष्ट्र	22 दिसम्बर, 2025	05 फरवरी 2026

- 2. उपरोक्त बैंक के जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने जमा बीमा दावों को बैंक में जमा करें। दावे पहचान के आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़/दस्तावेजों और उनके नाम पर जमा राशि प्राप्त करने की लिखित सहमित (सम्मित घोषणा) द्वारा समर्थित हो। साथ ही अपने वैकल्पिक बैंक खाते का विवरण भी प्रदान करें जिसमें यह राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में अधिकतम 5 लाख रुपए, जमा की जा सके। कृपया ध्यान दें कि प्रस्तुत की गई सम्मित घोषणा बैंक में जमाकर्ता द्वारा रखे गए सभी जमा खातों के लिए लागू होगी।
- 3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैध दस्तावेज जमा करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान उनके द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक बैंक खाते या उनकी सहमित पर, उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा जमा किया जाएगा। यह बैंक द्वारा धारा 18 ए (2) के अनुसार जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करने की वैधानिक समय सीमा का पालन किए जाने के अधीन होगा।
- 4. एआईडी बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए दावा निपटान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.dicgc.org.in/public-awareness पर जाएं।

एन. अरुण विष्णु कुमार निदेशक (ई)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/21

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट / Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

November 10, 2025

Payment under Section 18 A of DICGC Act - Pusad Urban Co-operative Bank Ltd., Pusad

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) will be making payments to the eligible depositors of the bank, as specified below, in terms of Section 18A of the DICGC Act, 1961, subject to submission of claim list by the bank concerned, in such form and manner as prescribed by DICGC.

Sr. No.	Name of the Bank	City, State	Last date for submission of claim/ willingness	Date of payment by DICGC
1	Pusad Urban Co-operative Bank Ltd., (AID w.e.f. November 07, 2025)	Pusad, Maharashtra	December 22, 2025	February 05, 2026

- 2. Depositors of the above bank are advised to submit their deposit insurance claims to the bank. The claims should be supported by officially valid document/s of identity and written consent to receive the amount lying in credit of their deposit (<u>willingness declaration</u>), subject to a maximum of Rs.5 lakh in same capacity and in the same right, along with alternate bank account details into which the said amount will be credited. Please note that the willingness submitted shall be construed applicable for all deposit accounts held by a depositor in the bank.
- 3. Depositors submitting valid documents, as mentioned above, will be paid by credit to the alternate bank account specified by depositors, or on their consent, to their Aadhaar linked bank account, subject to bank abiding by the statutory timelines of depositor list submission in terms of Section 18 A (2).
- 4. For more information regarding the claim settlement procedure for depositors of AID banks, please visit https://www.dicgc.org.in/public-awareness

N. Arun Vishnu Kumar Director (E)

Press Release: 2025-2026/21